प्रारम्भिक जाँच

बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के संदर्भ में भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर अधिसूचित की गयी निम्नांकित दो नियमावलियाँ महत्त्वपूर्ण है–

(i) बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 ;

(ii) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005।

आचार नियमावली के प्रावधानों द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि एक नियोक्ता के रूप में सरकार अपने कर्मचारियों से क्या करने अथवा क्या नहीं करने की अपेक्षा रखती है अर्थात् किसी सरकारी सेवक को क्या करना है अथवा क्या नहीं करना है। इस नियमावली के प्रावधानों के आधार पर ही किसी सरकारी सेवक के किसी आचारण के संदर्भ में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह आचरण कदाचार है अथवा नहीं? इसके अतिरिक्त सरकार के अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रावधनों का अनुपालन नहीं किया जाना भी कदाचार होता है।

इसके विपरीत किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध प्रतिवेदित कदाचार के किसी मामले की जाँच एवं कदाचार प्रमाणित होने पर दंड के अधिरोपण की प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत प्रावधान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में किये गये हैं। इस नियमावली के प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई हेतु सामान्यतया निम्नांकित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाता है–

(i) लांछन/परिवाद/शिकायत की प्रारम्भिक जाँच, जिसमें संबंधित सरकारी सेवक को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया भी जा सकता है या ऐसी प्रारम्भिक जाँच गोपनीय तरीके से भी करायी जा सकती है। प्रारम्भिक जाँच और विभागीय जाँच के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया महत्त्वपूर्ण न्याय–निर्णय निम्नवत् है–

(क) The Preliminary inquiry is fact finding enquiry. The purpose of holding it is to ascertain as to whether there is a primafacie case for the institution of a regular departmental proceeding and if so, to gather evidence there for. However such preliminary inquiry should not be confused with the possible institution of a regular departmental inquiry which may be ordered later on. There is no punitive element in a preliminary inquiry and provisions of Article 311 (2) of the constitution have no application to its being held. (Champak lal V. Union of India, AIR 1964 SC 1854)

(ख) The Preliminary inquiry may be held confidentially or even ex-parte. (Tribuwan Nath V. State AIR 1960 Pat 116)

(ii) प्रारम्भिक जाँच में लांछन/परिवाद/शिकायत के प्रथमद्रष्टया प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र का गठन किया जाना है और उसे संबंधित सरकारी सेवक के अनुशासनिक प्राधिकार को विस्तृत जाँच हेतु अग्रसारित किया जाना है।

(iii) आरोप पत्र पर सर्वप्रथम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

Scanned with OKEN Scanner

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Union of India and ors. Vs. B.V. Gopinath [(2014) 1SCC351] में पारित न्यायादेश तथा उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–17892/2014 चन्द्रकान्त कुमार अनिल बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक–28.01.2015 को पारित न्यायादेश में यह स्पष्ट किया गया है कि आरोप पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार (नियुक्ति प्राधिकार) का अनुमोदन प्राप्त किये बिना आगे की कार्रवाई किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

(iv) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17/19 के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र पर निर्धारित समय के अन्दर स्पष्टीकरण/बचाव बयान की मांग की जानी है। सामान्यतया इसके लिए एक पक्ष का समय दिया जाता है।

(v) प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरान्त यदि मामला नियम– 19 के तहत लघु दंड अधिरोपित कर निष्पादित किये जाने योग्य हो तो इसे तदनुसार निष्पादित किया जाता है। परन्तु आरोप एवं प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा में यदि आरोपों की विस्तृत जाँच की आवश्यकता पायी जाय, तब नियम– 17 के प्रावधान के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाती है।

(vi) अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा नियम–18 के प्रावधानों के तहत करते हुए आवश्यकतानुसार बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श तथा मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त करते हुए दंडादेश संसूचित कर मामले का अन्तिम निष्पादन किया जाना है।

सरकारी सेवकों से अपेक्षाएँ

बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) में सरकारी सेवकों से एक नियोक्ता के रूप में सरकार द्वारा निम्नांकित तीन मौलिक अपेक्षाएँ की गयी हैं–

(i) पूरी शीलनिष्ठा रखेगा,
(ii) कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा,
(iii) ऐसा कोई काम न करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो।

लांछनों का वर्गीकरण

उपर्युक्त मौलिक अपेक्षाओं के अतिरिक्त आचार नियमावली में कतिपय विषयों के संदर्भ में विशिष्ट प्रावधान किये गये हैं। तदनुसार किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध प्रतिवेदित लांछनों को मोटे तौर पर निम्नांकित पाँच वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है–

(i) सत्यनिष्ठा संबंधी आरोप/शिकायत/परिवाद;
(ii) गबन एवं दुर्विनियोग संबंधी आरोप/शिकायत/परिवाद;
(iii) नैतिक पतन संबंधी आरोप/शिकायत/परिवाद;
(iv) आदेशोल्लंघन संबंधी आरोप/शिकायत/परिवाद;
(v) सरकारी कर्त्तव्य पूरा न करना/सरकारी कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही (Official delinquency) संबंधी आरोप/शिकायत/परिवाद।

परिवाद (Complaint)

सरकारी सेवकों के विरूद्ध आम जनता तथा लोक प्रतिनिधि/जन प्रतिनिधि (किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित मामला को छोड़कर) से सरकार/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति पदाधिकारी के पास प्राप्त लांछन पत्र।

Scanned with OKEN Scanner

शिकायत (Allegation)

परिवाद पत्र को छोड़कर (जो आम जनता तथा जन प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त होता है) अन्य सभी प्रकार की सूचनाएँ/ शिकायतें/अनुशंसाएँ/प्रतिवेदन आदि जो प्रमंडलीय आयुक्तों/ जिला पदाधिकारियों/सरकारी विभागों/विभागाध्यक्ष/नियमों–निकायों/नियंत्रण पदाधिकारियों/ सक्षम पदाधिकारियों से सरकारी सेवकों के विरूद्ध प्राप्त होते हैं, वे सभी शिकायत के अंतर्गत हैं।

बेनामी एवं छद्मनामी परिवाद पत्रों पर कार्रवाई की प्रक्रिया (परिपत्र सं0–945 दिनांक–24.06.2005)

1. अनाम, बेनामी, छद्मनामी आवेदन पत्रों/परिवाद पत्रों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी बल्कि उन्हें संचिकास्त कर दिया जाएगा।

2. पदाधिकारियों के विरूद्ध बिना हस्ताक्षर के प्रकाशित खुले पत्रों और पैम्फलेटों पर भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

3. आम जनता से प्राप्त हस्ताक्षरित एवं उनका पतायुक्त परिवादपत्र प्राप्त होने पर परिवादी से एक निर्धारित अवधि के अन्दर निबंधित डाक (स्पीडपोस्ट) से प्राप्ति पत्र द्वारा लिखित सम्पुष्टि प्राप्त करने के साथ–साथ उनसे इस आशय का शपथपत्र भी लिया जाएगा कि उन्हें मामले की व्यक्तिगत जानकारी है और तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए वे साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं।

4. लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा एवं विधान परिषद् के माननीय सदस्यों से परिवादपत्र प्राप्त होने पर उनसे शपथपत्र नहीं मांगा जाएगा, परन्तु एक निर्धारित अवधि के अन्दर निबंधित डाक (स्पीडपोस्ट) से प्राप्ति पत्र द्वारा उनसे भी लिखित संपुष्टि प्राप्त करने के साथ–साथ उनसे यह लिखित आश्वासन भी लिया जाएगा कि परिवाद के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए वे तैयार हैं।

5. अन्य प्रकार के लोक प्रतिनिधियों से परिवादपत्र प्राप्त होने पर उनसे एक निर्धारित अवधि के अन्दर निबंधित डाक (स्पीडपोस्ट) से प्राप्ति पत्र द्वारा लिखित संपुष्टि प्राप्त करने के साथ–साथ एक शपथपत्र भी लिया जाएगा कि उन्हें मामले की व्यक्तिगत जानकारी है और तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए वे साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं।

6. उप कंडिका (3) एवं (5) के संदर्भ में निर्धारित अवधि के अंदर लिखित संपुष्टि एवं शपथ–पत्र प्राप्त नहीं हो सकने तथा उप कंडिका (4) के संदर्भ में निर्धारित अवधि के अंदर लिखित संपुष्टि एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहने का आश्वासन प्राप्त नहीं हो सकने की स्थिति में परिवाद पत्र को संचिकास्त कर दिया जाएगा।

7. उपर्युक्त उप कंडिका (3), (4) एवं (5) के अनुसार निबंधित डाक से कार्रवाई के बाद ही समीक्षोपरांत सरकार/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति पदाधिकारी के आदेश से जांच की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। जांच की कार्रवाई के पूर्व सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जाए या नहीं यह आरोप की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

शिकायत पर कार्रवाई की प्रक्रिया

जैसा कि परिभाषा में ही स्पष्ट किया गया है, किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध कार्यपालिका के अन्दर के किसी प्राधिकार, भले ही वह प्राधिकार संबंधित सरकारी सेवक के सामान्य पदसोपान

Scanned with OKEN Scanner

के अन्तर्गत आता हो अथवा नहीं, द्वारा लगाया गया लांछन शिकायत कहा जाता है। इसके अतिरिक्त वैसे परिवाद को भी आगे कार्रवाई के दृष्टिकोण से शिकायत के समरूप/समकक्ष माना जाता है, जिनके संदर्भ में निर्धारित अवधि के अंदर लिखित संपुष्टि एवं शपथ–पत्र/आश्वासन पत्र प्राप्त हो चुका हो।

प्रारम्भिक जाँच

जिस प्राधिकार के पास किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध परिवाद/शिकायत प्राप्त हुई हो, उसके द्वारा लगाये गये लांछनों की प्रारम्भिक जाँच करायी जायेगी। प्रारम्भिक जाँच में संबंधित सरकारी सेवक को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया भी जा सकता है अथवा बिना उसकी जानकारी में दिये हुए गोपनीय रूप से भी प्रारम्भिक जाँच करायी जा सकती है। प्रारम्भिक जाँच में निष्कर्षतः यदि लगाये गये लांछन प्रथम–द्रष्टया अप्रमाणित पाये जाए, तब संबंधित प्राधिकार द्वारा इस मामले को संचिकास्त कर दिया जायेगा। परन्तु प्रारम्भिक जाँच में निष्कर्षतः यदि लगाये गये लांछन प्रथम–द्रष्टया प्रमाणित पाये जायें, तब संबंधित प्राधिकार द्वारा जाँच के निष्कर्षों के आधार पर संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र का गठन किया जायेगा जिसके साथ साक्ष्य अभिलेख की सूची तथा साक्षियों की सूची, जिनके आधार पर आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित हो, संलग्न किये जायेंगे। संबंधित प्राधिकार द्वारा यह आरोप पत्र संबंधित सरकारी सेवक के अनुशासनिक प्राधिकार को उपलब्ध कराया/प्रेषित किया जायेगा। प्राप्त आरोप पत्र की समीक्षोपरान्त यदि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोप पत्र को अनुमोदित किया जाय, तब अनुमोदित आरोप पत्र में वर्णित आरोपों की सम्यक् जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के आलोक में की जायेगी और इस मामले को अन्तिम निष्कर्ष तक पहुँचाया जायेगा।

प्रारम्भिक जाँच का उदाहरणः–

किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापित किसी चिकित्सक के विरुद्ध संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी के समक्ष लांछन प्राप्त होता है कि वे स्वास्थ्य केन्द्र में प्रत्येक दिन नहीं आते हैं और जिस दिन आते हैं उस दिन भी उनके द्वारा मरीजों की देख भाल नहीं की जाती है।

अगर ऐसा लांछन आम जनता/जनप्रतिनिधि द्वारा समर्पित किया गया हो, तब यह परिवाद कहा जायेगा। ऐसे परिवाद के संदर्भ में परिवादी से निर्धारित अवधि के अंदर लिखित संपुष्टि एवं शपथ–पत्र/आश्वासन पत्र की मांग की जायेगी। लिखित संपुष्टि एवं शपथ–पत्र/आश्वासन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही इस परिवाद पर आगे उसी रूप में कार्रवाई की जायेगी जिस रूप में शिकायत पर कार्रवाई की जाती है। निर्धारित अवधि के अंदर लिखित संपुष्टि एवं शपथ–पत्र/आश्वासन पत्र अप्राप्त रहने पर इस परिवाद पर कार्रवाई संचिकास्त कर दी जायेगी।

अगर ऐसा लांछन कार्यपालिका के अन्दर के किसी प्राधिकार, यथा संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल विकास पदाधिकारी, उप–समाहर्त्ता आदि में से किसी के द्वारा समर्पित किया गया हो, तो यह शिकायत कहा जायेगा। इस शिकायत की प्रारम्भिक जाँच जिला पदाधिकारी द्वारा की/करायी जायेगी। ऐसी जाँच वे स्वयं भी कर सकते हैं अथवा ऐसी जाँच के लिए किसी अन्य प्राधिकार को प्राधिकृत कर सकते हैं। इस जाँच के क्रम में संबंधित चिकित्सक से उसका पक्ष लिया भी जा सकता है अथवा यह जाँच गोपनीय

Scanned with OKEN Scanner

तरीके से भी की जा सकती है। गोपनीय तरीके से जाँच करने हेतु संबंधित स्वास्थ्य केन्द्र में प्रतिदिन किसी व्यक्ति को भेजकर संबंधित चिकित्सक के संबंध में सूचना एकत्रित की जा सकती है और प्राप्त सूचना के आधार पर लांछन के प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने अथवा नहीं होने के संदर्भ में निष्कर्ष गठित किया जा सकता है। यदि जाँच प्रतिवेदन में लांछन के प्रथम–द्रष्टया अप्रमाणित पाये जाने का निष्कर्ष प्राप्त हो तब विचाराधीन परिवाद/शिकायत प्रकरण को संचिकास्त कर दिया जायेगा। परन्तु प्रारम्भिक जाँच में यदि लांछन प्रथम–द्रष्टया प्रमाणित प्रतिवेदित किये जायें, तब जिला पदाधिकारी प्रारम्भिक जाँच के निष्कर्ष के आधार पर विहित प्रपत्र में संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन करेंगे जिसके साथ लांछनों को प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य एवं साक्षियों की सूची भी संलग्न की जायेगी। जिला पदाधिकारी आरोप पत्र को संबंधित चिकित्सक के अनुशासनिक प्राधिकार अर्थात् स्वास्थ्य विभाग, बिहार को आगे कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायेंगे।

<u>नोटः–</u> सुलभ संदर्भ हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या–945 दिनांक–24.06.2005 तथा मंत्रिमंडल निगरानी विभाग का पत्रांक–2608 दिनांक–09.07.1976 का उल्लेख नीचे किया जा रहा है –

1. बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग पत्रांक–3/एम॰–7/2005का०–945 दिनांक– 26 जुन, 2005 प्रेषक श्री जी.एस. कंग, मुख्य सचिव, बिहार सेवा में, सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी।

पत्रांक– 3/एम॰–7/2005का०–945

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री जी.एस. कंग
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पाधिकारी

पटना–15, दिनांक– 26.06.2005

विषयः– सरकारी सेवकों के विरूद्ध प्राप्त बेनामी एवं छद्मनामी परिवाद पत्रों पर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक–16514 दिनांक–05.12.1980, पत्रांक–13830, दिनांक–14.12.1989 तथा पत्रांक–2451 दिनांक–23.03.2005 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशानुसार कहना है कि पत्रांक– 16514 दिनांक– 05.12.1980 के अंतर्गत यह उल्लेख है कि अनाम, बेनामी, छद्मनामी आवेदनपत्रों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा पदाधिकारियों के विरूद्ध बिना हस्ताक्षर के प्रकाशित खुले पत्रों और पैम्फलेटों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। जहाँ परिवाद पत्र हस्ताक्षरित होंगे और आरोप विशिष्ट प्रकृति के होंगे तथा परिवादी का पता लगाया जाना संभव होगा, वहाँ भी परिवादी को तुरंत बुलाकर या उनसे सम्पर्क स्थापित कर जान लेना आवश्यक होगा कि उनके द्वारा लाए गए आरोपों के संबंध में उन्हें क्या कहना है और

Scanned with OKEN Scanner

परिवाद के संबंध में वे किसी प्रकार साक्ष्य उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। इसके बाद ही समीक्षोपरान्त सरकार/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति पदाधिकारी के आदेश से जाँच की प्रक्रिया आरंभ की जाए। इसके पूर्व सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जाए अथवा नहीं यह आरोप की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

2. परन्तु उपर्युक्त प्रकार की कार्रवाई के उपरांत भी सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्तरदायी सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्रायः दुर्भावना, प्रतिशोध और उन्हें हतात्साहित करने के उद्देश्य से किए गए परिवादपत्र जांचोपरांत बेबुनियाद एवं निराधार पाए जाते रहे हैं। ऐसी स्थिति में पत्रांक– 13830, दिनांक– 14.12.1989 के अंतर्गत सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया कि सरकारी सेवक के विरूद्ध आम जनता तथा लोक प्रतिनिधि (किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध उनके नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित मामला को छोड़कर) से परिवादपत्र प्राप्त होने पर परिवादी से लिखित सम्पुष्टि प्राप्त करने के साथ–साथ उनसे शपथपत्र लिया जाए कि उन्हें मामले की व्यक्तिगत जानकारी है और तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए वे साक्ष्य देने को तैयार हैं। दिनांक– 14.12.1989 के उपर्युक्त परिपत्र में पत्रांक– 2451 दिनांक– 23.03.2005 के तहत आंशिक संशोधन संसूचित किया गया कि लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद् के माननीय सदस्यों से शपथपत्र नहीं मांगा जाएगा, परन्तु संपुष्टि और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार होने के संबंध में उनसे सम्पुष्टि प्राप्त कर लेने की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

3. एक ही विषय पर उक्त तीनों परिपत्रों के लागू रहने से उसकी व्याख्या में कभी–कभी भ्रम हो जाने की गुंजाइश हो गयी है। जहाँ सरकार कृतसंकल्प है कि कार्यान्वयन के क्षेत्र में सरकार की नीतियाँ सही रूप से प्रतिबिंबित हों, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकारी सेवक उत्तरदायी ठहराए जाएँ,वहीं सरकार चिंतित भी है कि प्रायः दुर्भावना, प्रतिशोध और पदाधिकारियों को हतात्साहित करने के उद्देश्य से प्रेरित अनाम, बेनामी और छद्मनामी परिवादों की प्रवृत्ति पर भी रोक प्रभावी ढंग से लगी रहे। सरकार की इस चिंता को प्रभावी और स्पष्ट रूप देने के उद्देश्य से उक्त परिपत्रों के तहत लिए गए निर्णयों का समेकन कर एक स्पष्ट एवं प्रभावी अनुदेश निर्गत करने की आवश्यकता महसूस की गयी है।

4. अतः उपर्युक्त पत्रांक–16514 दिनांक–05.12.1980, पत्रांक–13830 दिनांक–14.12.1989 तथा पत्रांक– 2451 दिनांक– 23.03.2005 को अवक्रमित करते हुए तथा सारे पहलुओं पर विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि–

(i) अनाम, बेनामी और छद्मनामी आवेदनपत्रों/परिवादपत्रों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी बल्कि उन्हें संचिकास्त कर दिया जाएगा।

(ii) पदाधिकारियों के विरुद्ध बिना हस्ताक्षर के प्रकाशित खुले पत्रों और पैम्फलेटों पर भी तदनुसार कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(iii) आम जनता से प्राप्त हस्ताक्षरित एवं उनका पतायुक्त परिवादपत्र प्राप्त होने पर परिवादी से एक निर्धारित अवधि के अन्दर लिखित सम्पुष्टि प्राप्त करने के साथ–साथ उनसे शपथपत्र भी लिया जाएगा कि उन्हें मामले की व्यक्तिगत जानकारी है और तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए वे साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं।

(iv) लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा एवं विधान परिषद् के माननीय सदस्यों से परिवाद पत्रों प्राप्त होने पर उनसे शपथपत्र नहीं मांगा जाएगा, परन्तु एक निर्धारित अवधि के अन्दर उनसे

Scanned with OKEN Scanner

लिखित संपुष्टि प्राप्त करने के साथ–साथ उनसे यह लिखित आश्वासन भी लिया जाएगा कि परिवाद के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए वे तैयार हैं।

(v) अन्य प्रकार के लोक प्रतिनिधियों से परिवादपत्र प्राप्त होने पर उनसे एक निर्धारित अवधि के अन्दर लिखित संपुष्टि प्राप्त करने के साथ–साथ उनसे शपथपत्र भी लिया जाएगा कि उन्हें मामले की व्यक्तिगत जानकारी है और तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए वे साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं।

(vi) उप कंडिका–(iii) एवं (v) के संदर्भ में निर्धारित अवधि के अन्दर लिखित संपुष्टि एवं शपथपत्र प्राप्त नहीं हो सकने तथा उप कंडिका–(iv) के संदर्भ में निर्धारित अवधि के अंदर लिखित संपुष्टि एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहने का आश्वासन प्राप्त नहीं हो सकने की स्थिति में परिवाद पत्र को संचिकास्त कर दिया जाएगा।

(vii) उपर्युक्त उप कंडिका– (iii), (iv) एवं (v) के अनुसार निबंधित डाक से कार्रवाई के बाद ही समीक्षोपरान्त सरकार/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति पदाधिकारी के आदेश से जांच की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। जांच की कार्रवाई के पूर्व सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जाए या नहीं– यह आरोप की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

5. अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुदेशों से अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों एवं पदाधिकारियों को अवगत करा दें और इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन
ह0/–
(जी.एस.कंग)
मुख्य सचिव

2. बिहार सरकार, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग पत्रांक–डी.एस.–26/74/2610 दिनांक–09 जुलाई, 1976 प्रेषक श्री राम प्रकाश खन्ना, सरकार के मुख्य सचिव, सेवा में, सभी विभागों के प्रधान सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलों के आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी।

पत्रांक– डी.एस.– 26/76वि.2608
बिहार सरकार,
मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग

प्रेषक,

श्री राम प्रकाश खन्ना,
सरकार के मुख्य सचिव,

सेवा में,

सभी विभागों के प्रधान सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमंडलों के आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी

दिनांक–09 जुलाई, 1976

विषयः– अनाम, एवं छद्मनामी परिवादों के संबंध में सरकार द्वारा विर्निदिष्ट नीति।

उपर्युक्त विषय पर कहना है कि अनाम, एवं छद्मनामी परिवादों के निष्पादन के संबंध में पूर्व में कई अनुदेश जारी किए गए तथा अंततः इन पर अपेक्षित कार्रवाई के संबंध में सरकार की

Scanned with OKEN Scanner

नीति श्री ब्रे.व्ही. बालासुब्रह्मण्यम के ज्ञापांक– 10251 दिनांक– 26 अगस्त, 1958 में सुस्पष्ट की गयी।

उक्त अनुदेशों का उद्देश्य मुख्यतः छद्मनामी एवं अनाम परिवादों पर कार्रवाई करने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना रहा है। लेकित व्यवहार में ऐसा देखा गया कि परिपत्रों के मूल अभिप्रायों के विरुद्ध बहुसंख्यक मामलों में छद्मनाम एवं गुमनाम परिवादों पर जांच शुरू कर दी गयी तथा अब स्थिति ऐसी हो गयी है कि उनमें सन्निहित अनुदेशों को बिल्कुल नजरअंदाज सा कर दिया गया। इसका नतीजा न तो भ्रष्टाचार निवारण कार्यक्रम के लिए स्वास्थप्रद हुआ और न प्रशासन के स्वरूप के लिए ही।

इस प्रकार की प्रवृत्ति कई जगह इसलिए भी पैदा हुई क्योंकि बहुधा सक्षम पदाधिकरियों ने इस लक्ष्य से भी ऐसे परिवादों पर जांच प्रारंभ कर दी कि कहीं वे भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने हेतु किसी स्तर से लांछित न हों। परन्तु इस प्रकार की कार्यवाही से चरित्र हनन एवं मिथ्याभिरोप की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता गया और इन परिवादों पर सुदीर्घ जाँच के बाद भी कोई फलप्रद परिणाम नहीं निकला।

इधर निगरानी विभाग ने भी इस विषय का गहराई से अध्ययन किया है जिससे निम्नांकित निष्कर्ष सामने आया है–

(i) जांच की परिधि में लाने के लिए परिवादों को अक्सर विशिष्टता का कलेवर दे दिया जाता है जबकि बाद में अधिकांश आरोप निराधार पाए जाते हैं।

(ii) छद्मनाम एवं अनाम परिवाद पत्रों पर जांच के नतीजों के आँकड़े हतोत्साही पाए गए हैं, क्योंकि जिन परिवादों के संदर्भ में आरोप प्रमाणित हुए, उनकी संख्या लगभग नगण्य थी। इस प्रकार विभाग का इन जांचों में शक्ति एवं साधनों का नियोजन एक प्रकार से अपव्यय ही समझा जाएगा तथा

(iii) ऐसे परिवाद पत्र सामान्यतः दुर्भावना एवं मनोमालिन्य से उत्प्रेरित होते हैं और अक्सर ऐसे समय में दिए जाते हैं जब आरोपित पदाधिकारी की प्रोन्नति या सम्पुष्टि आदि पर विचार होने वाला है।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में भी अनाम या छद्मनाम परिवादों पर जांच करने की पद्धति बिल्कुल समाप्त कर दी गयी है।

अतएव उपर्युक्त पृष्ठभूमि में सरकार यह निर्णय लिया है कि अनाम एवं छद्मनाम परिवाद पत्र चाहे वे प्रत्येक्षतः कितने भी विशिष्ट प्रतीत होते हो पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। इसके साथ सरकार का यह भी निर्णय है कि जहाँ परिवाद विशिष्ट हस्ताक्षरित एवं परिलक्षणीय (Identifiable) हो, वहाँ भी जांच शुरू करने के पूर्व परिवादी के बारे में तुरंत सत्यापन कर उनके तथा उनकी शिकायत के बारे में आश्वस्त हो लिया जाए। इस संबंध में परिवादी को तुरंत बुलाकर या अन्य प्रकार से उनसे सम्पर्क स्थापित कर यह जान लेना होगा कि उनके द्वारा लाए गए आरोपों के संबंध में उन्हें क्या कहना है तथा उसके संबंध में यह किस हद तक साक्ष्य उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे।

आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त आदेशों को तुरंत अपने अधीन सभी कार्यालयों एवं पदाधिकारियों की सूचना में आवश्य लावें तथा उन निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

ह0/–

Scanned with OKEN Scanner

(राम प्रकाश खन्ना)
सरकार के मुख्य सचिव

3. मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग ने भी तदनुसार समय सीमा निर्धारित करने संबंधी अनुदेश अपने पत्रांक–सी.एस.26/76निग.2604 दिनांक– 09. जुलाई, 1976 द्वारा निर्गत किया गया। प्रारंभिक जांच के दौरान आरोपित राजकीय सेवकों से निगरानी विभाग द्वारा सूचनाएँ मांगने एवं मंतव्य प्राप्त करने के लिए अधिकृत किए जाने के संबंध में अनुदेश पत्रांक–डी.एस.–26/74/2610 दिनांक–09 जुलाई, 1976 द्वारा निर्गत किया गया।

इस परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा भ्रष्टचार, कदाचार या अन्य सभी प्रकार के अनुशासनिक मामलों की प्रारंभिक छानबीन एवं निष्पादन हेतु अधिकतम काल सीमा छः महीने निर्धारित की गयी है जो निम्नानुसार होगी–

(क) जांच के लिए– 3 महीना
(ख) आरोपित राजकीय सेवक के स्पष्टीकरण हेतु– 2 महीना
(ग) अंतिम प्रतिवेदन हेतु– 1 महीना

———————————

Scanned with OKEN Scanner